सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय
लोरडी पण्डितजी, जोधपुर (राज.)–342037
E-mail: registrar@policeuniversity.ac.in **Website:** www.policeuniversity.ac.in

Ref. No. F.2(1)/SPUJ/2013/Admn&Estt/BOM-Vol.-VI/2277 Dated: 22.08.2023

–: कार्यवाही विवरण :–

सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा और दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर के प्रबन्ध मण्डल की **17**वीं बैठक, दिनांक **17 अगस्त, 2023** को दोपहर **12**.30 बजे माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में, विश्वविद्यालय के कांफ्रेंस हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. डॉ. आलोक त्रिपाठी, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, एसपीयूपी, जोधपुर
2. श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस. संयुक्त शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान (प्रतिनिधिः अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान) – ऑनलाइन भाग लिया
3. श्री जयनारायण शेर,आई.पी.एस., रेन्ज आई.जी.पी., जोधपुर (प्रतिनिधि : महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर)
4. श्री रविदत्त गौड़, आई.पी.एस., प्रति कुलपति एसपीयूपी, जोधपुर एवं पुलिस आयुक्त, जोधपुर
5. श्री ओमेन्द्र भारद्वाज, पूर्व महानिदेशक पुलिस, राजस्थान
6. श्री पी. रामजी, आई.पी.एस. ADGP, निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर–ऑनलाइन भाग लिया
7. डॉ. ए.के. गहलोत, पूर्व कुलपति, RAJUVAS, बीकानेर
8. प्रो. एस.एस. टाक, प्रोफेसर (से.नि.), जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
9. डॉ. डिम्पल पवार आर्य, कुलसचिव (कार्यवाहक) एवं सदस्य सचिव, एसपीयूपी, जोधपुर

बैठक में निम्न सदस्य अनुपस्थित रहे :–

1. श्री लक्ष्मण मीणा, माननीय विधायक, बस्सी
2. श्री रूपाराम, माननीय विधायक, जैसलमेर
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान
4. प्रो. (डॉ.) राम सिंह मीणा, सदस्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान
6. प्रो. शान्तनु चौधरी, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर
7. कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा सदस्यों की अनुमति उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई। बैठक में एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श कर, निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

बिन्दु संख्या–17/1		**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**
निर्णय–17/1	:	निर्णय संख्या 16/11 के संबंध में सदस्यों का सुझाव था कि प्रो. एस.एस. टाक द्वारा जो डिसेंट नोट दिया गया था व कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न है जो पर्याप्त है। कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 16/11 में वर्णित पैरा को हटाने का निर्णय लिया गया। अतः ***"प्रो. एस.एस. टाक द्वारा कहा गया कि कुलपति को मात्र विषय विशेषज्ञ को बुलाकर दो सदस्यों के कोरम से CAS प्रक्रिया पूर्ण कर लेनी चाहिये थी। (हालांकि यू.जी.सी. 2018 के नियमों के तहत तीन सदस्यों का कोरम आवश्यक है।)"*** को निरस्त माना जाए। उपस्थित सदस्यों का सुझाव था कि ***CAS*** की अनुशंसा भी, कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न की जावें। प्रो. एस.एस. टाक, द्वारा विश्वविद्यालय के 2.00 करोड़ रूपयों के गबन के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी चाही गई। माननीय कुलपति महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रमुख सचिव को अर्द्धशासकीय पत्र (D.O. letter), कार्मिक विभाग एवं गृह विभाग, राजस्थान सरकार को स्मरण पत्र एवं आरोप पत्र भिजवाया गया है। सभी सदस्यों की राय थी कि प्रत्येक आगामी प्रबन्ध बोर्ड बैठक में विश्वविद्यालय के 2.00 करोड रूपयों के गबन के संबंध में प्रगति एवं जानकारी सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की जावें। अतः कार्यवाही विवरण के निर्णय संख्या 16/11 मे वर्णित पैरा को हटाने एवं ***CAS*** की अनुशंसा संलग्न करने के सुझाव के पश्चात प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–17/2	:	**विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के कार्यवाही विवरण के अनुसार की गई अनुपालना का विवरण।**
निर्णय–17/2	:	प्रो. एस.एस. टाक द्वारा कार्यवाही विवरण 16/15 के तहत जारी कार्यालय आदेश 4363–68 दिनांक 09.01.2023 के अनुसार विश्वविद्यालय

		अधिनियम, 2012 की धारा–28(1)(एफ) के प्रावधानान्तर्गत वित्त समिति में प्रबंध बोर्ड द्वारा उनके मनोनयन के आदेश जारी किया गया। जिसमें उन्होने बताया कि उनका मनोनयन वित्त समिति में दो वर्ष अथवा अग्रिम आदेश, जो भी पहले हों, हटाया जावें। सभी सदस्यों की राय थी कि उक्त कार्यालय आदेश में से **"अग्रिम आदेश जो भी पहले हो"** को विलोपित किया जावे एवं उसके स्थान पर **"कार्यकाल समाप्त होने तक"** लिखा जावे। इस का संशोधन आदेश जारी करने की अनुशंसा की गई । विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड की 16वीं बैठक दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णयानुसार अनुपालना प्रतिवेदन सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–17/3	:	**विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2023 के कार्यवाही विवरण पर विचार।**
निर्णय–17/3	:	विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2023 के कार्यवाही विवरण को का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–17/4	:	**विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–11(1)(a) के अन्तर्गत कुलपति पद पर चयन हेतु गठित समिति में, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा एक सदस्य के मनोनयन पर विचार।**
निर्णय–17/4	:	विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा–11(1)(a) के अन्तर्गत कुलपति पद पर चयन हेतु गठित खोजबीन समिति में, प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से .... को प्रबन्ध बोर्ड की ओर से नागित सदस्य मनोनीत किया गया।
बिन्दु संख्या–17/5	:	**विश्वविद्यालय के स्वयं के आर्डिनेन्स, परिनियमों एवं सेवानियमों [Service Rules(Regulation)] के निर्माण हेतु समिति/सदस्य के मनोनयन पर विचार ।**
निर्णय–17/5	:	विश्वविद्यालय के स्वयं के आर्डिनेन्स, परिनियमों एवं सेवानियमों [Service Rules(Regulation)] के निर्माण हेतु समिति/सदस्य के मनोनयन प्रकरण के संबंध में सर्वसम्मति से डॉ. गंगाराम जाखड, पूर्व कुलपति, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किये जाने का सर्वसम्मति निर्णय लिया गया।
बिन्दु संख्या–17/6	:	**विश्वविद्यालय में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के दिनांक 20.04.2023 आदेशानुसार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन।**
निर्णय–17/6	:	विश्वविद्यालय के कार्मिको के लिये पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू किए जाने के प्रस्ताव को प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा

		सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (**OPS**) के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशो की पालना सुनिश्चित किए जाने का निर्णय लिया गया।
बिन्दु संख्या–17/7	:	**पुस्तकालयाध्यक्ष के रिक्त पद पर एजेन्सी के माध्यम से राशि 20,000/– मासिक पारिश्रमिक पर लिए जाने की सूचना।**
निर्णय–17/7	:	पुस्तकालयध्यक्ष के रिक्त पद पर एजेन्सी के माध्यम से राशि 20,000/– मासिक पारिश्रमिक पर लिए जाने की सूचना को प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अभिलिखित किया गया। प्रबन्ध बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा वि.वि. में पुस्तकालयाध्यक्ष का नवीन नियमित पद सृजित किये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की अनुशंसा व्यक्त की गई ।
बिन्दु संख्या–17/8	:	**ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार।**
निर्णय–17/8	:	कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के कैम्पस प्लेसमेन्ट, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट अधिकारी के द्वारा नियमित रूप से करवाये जा रहे हैं। प्रबन्ध बोर्ड सदस्यों की राय थी कि प्लेसमेंट अधिकारी मुख्यतः विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों में से नियुक्त किया जाता हैं एवं प्लेसमेन्ट अधिकारी के रूप में कार्य करने पर उन्हें कुछ मानदेय दिया जा सकता है। इस संबंध में कुलसचिव द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय में केवल 13 संकाय सदस्य हैं। उनके ऊपर पहले से ही अधिभार हैं। वर्तमान में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी द्वारा विभिन्न एजेंसियों एवं कम्पनियों से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट हेतु नियमित पत्राचार एवं वार्तालाप किया जाता है और यह एक पूर्णकालिक कार्य है। प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से ट्रेनिंग और प्लेसमेंट अधिकारी का मासिक पारिश्रमिक 20,000/– से बढ़ाकर 25,000/– किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
बिन्दु संख्या–17/9	:	**विश्वविद्यालय के 11 कार्मिकों द्वारा 09 वर्ष की नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान किये जाने की सूचना।**
निर्णय 17/9		विश्वविद्यालय के 11 कार्मिकों द्वारा 09 वर्ष की नियमित सेवा सन्तोषजनक पूर्ण करने के फलस्वरूप प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति (ACP) प्रदान किये जाने की सूचना को अनुमोदित किया गया।

टेबल एजेण्डा 17/1	:	**विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं/संगठनों के साथ हस्ताक्षरित किये गये सहमति–पत्र (MOU)की सूचना।**
निर्णय – टेबल एजेण्डा 17/1	:	कुलसचिव द्वारा सदस्यों को अवगत करवाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के साथ सहमति–पत्र (MOU) हस्ताक्षरित किये गये है जिसके तहत उनके साथ विभिन्न अकादमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान पुलिस एवं राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर के साथ किये गये सहमति–पत्र (MOU) की सूचना को अभिलिखित किया गया।
टेबल एजेण्डा 17/2		**डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) के संबंध में राजस्थान पुलिस से प्राप्त दुराचरण रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित पेपर लीक समिति से प्राप्त रिपोर्ट की सूचना।**
निर्णय – टेबल एजेण्डा 17/2		माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया गया कि डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) के संबंध में राजस्थान पुलिस से प्राप्त दुराचरण रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित पेपर लीक समिति की रिर्पोट विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गई है। अतः डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) पर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के नियमानुसार कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। डॉ. विजय सिंह, सहायक आचार्य (निलंबित) के संबंध में राजस्थान पुलिस से प्राप्त दुराचरण रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय द्वारा गठित पेपर लीक समिति से प्राप्त रिपोर्ट की सूचना को अभिलिखित किया गया।

प्रो. एस.एस.टाक का सुझाव था कि विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक, जिसमें विश्वविद्यालय के आय व्यय के अनुमान के लेखा–जोखा तथा बैलेन्स शीट प्रस्तुत किया जाना चाहिये जिससे भविष्य में होने वाले अंकेक्षण आक्षेपों से बचा जा सके। माननीय कुलपति द्वारा उक्त सुझाव पर अपनी सहमति प्रकट करते हुए सदस्यों को अवगत कराया गया कि पिछले काफी समय से विश्वविद्यालय में वित्त नियंत्रक, सहायक लेखाधिकारी एवं कनिष्ठ लेखाकार के पद रिक्त हैं। अभी हाल ही में वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है अतः एक माह के भीतर वित्त समिति एवं प्रबन्ध बोर्ड की बैठक आयोजित करवा दी जावेगी।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

कुलसचिव,
एसपीयूपी, जोधपुर